न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 112/21

निर्णय दिनांक—13.08.2022

उनवान

1— शिवराज आत्मज लक्ष्मीचन्द जाति गुर्जर निवासी शोली तहसील दीगोद जिला कोटा
(वादी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से— श्री छीतरलाल गोचर अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से— तहसीलदार दीगोद

वाद अन्तर्गत धारा 88—89 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

संक्षेप में मामला यह है कि ग्राम शोली तहसील दीगोद में वादी के खाते में खसरा नम्बर 1265/1116 की 0.85 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जिसका पुराना खसरा नम्बर 1116/1 था नकल जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 संलग्न है।

यह कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोइद में वादी के खाते में खसरा नम्बर 3086/2187 पूर्व दिशा की 0.87 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072—2074 पेश है।

यह कि उपरोक्त दोनों गांवों की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम श्योराज सहवन से दर्ज हो गया है। जबकि वादी का नाम शिवराज है। वादी के आधार कार्ड , पेन कार्ड व जन आधार कार्ड, राशन कार्ड में शिवराज दर्ज है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम शोली तहसील दीगोद में वादी के खाते में खसरा नम्बर 1265/1116 की 0.85 हेक्टर भूमि में वादी का नाम श्योराज के स्थान पर शिवराज दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी की विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद से जवाब सरकार लिया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार शिवराज व श्योराज एक ही

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

व्यक्ति होना प्रकट किया है। तहसीलदार दीगोद की ओर से अभिशंषा की है कि वादी का नाम श्योराज के स्थान पर शिवराज दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम शोली तहसील दीगोद में वादी के खाते में खसरा नम्बर 1265/1116 की 0.85 हेक्टर भूमि में वादी का नाम श्योराज के स्थान पर शिवराज दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– शिवराज आत्मज लक्ष्मीचन्द जाति गुर्जर निवासी शोली तहसील दीगोद जिला कोटा
(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (राज0)
(प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नम्बर 112/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब मिनजानिब मुददालय न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम शोली तहसील दीगोद में वादी के खाते में खसरा नम्बर 1265/1116 की 0.85 हेक्टर भूमि में वादी का नाम श्योराज के स्थान पर शिवराज दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 13.08.2022 को जांरी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner